मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 37–2/2018/20–3 भोपाल, दिनांक 31/03/2018

प्रति,

1. आयुक्त,
   लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.
   भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूली वाहनो के सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किये जाने विषयक।

संदर्भः–विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.01.2018.

विषयांतर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश द्वारा स्कूल बसों के संचालन के संबंध में मान्यता नियम 2017 की कंडिका 20(6) में उल्लेखित प्रावधानों के पालन न करने की स्थिति में उक्त शालाओं की मान्यता तत्काल निरस्त करने तथा सीबीएसई/आईसीएसई अथवा अन्य बोर्ड से संबंधित शालाओं की संबद्धता हेतु राज्य शासन द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रतिसंहृत करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

2/ इस संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदाय निर्देशों के क्रम में स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों को मापदण्ड के अनुरूप संचालन किए जाने एवं इसमें पालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक शैक्षणिक संस्था स्तर पर एक समिति गठित किया जाना है।

3/ इस क्रम में शैक्षणिक संस्था में स्कूल वाहनों के सुरक्षित संचालन तथा पालकों की सहभागिता व सहयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक शैक्षणिक संस्था स्तर पर एक शाला परिवहन समन्वय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाएः–

1.	प्राचार्य शैक्षणिक संस्था	संयोजक
2.	जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो व्याख्यता स्तर से अनिम्न हो	सदस्य
3.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो परिवहन निरीक्षक के पद से अनिम्न हो	सदस्य
4.	अनुविभागीय अधिकारी पुसिल अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो सहायक उप निरीक्षक के पद से अनिम्न हो	सदस्य
5.	शैक्षणिक संस्था में संचालित प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन से न्यूनतम एक पालक	सदस्य

उपर्युक्त कण्डिका में वर्णित शाला परिवहन समन्वय समिति का गठन संबंधित शाला प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया जाए। उक्त शाला परिवहन समिति की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार आहूत की जाए। उक्त समिति विद्यालय की परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिन्दु की समीक्षा हेतु कार्य करेगी, जिनमें निम्नलिखित बिन्दु भी सम्मिलित रहेगें:–

(i) स्कूली बच्चों के परिवहन में संलग्न समस्त वाहनों की जानकारी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संधारित करने संबंधित व्यवस्था।

(ii) परिवहन हेतु निर्धारित मानकों एवं गुणवत्तायुक्त वाहनों का उपयोग।

(iii) वाहनों की क्षमता के दृष्टिगत संबंधित वाहन में अधिकतम बच्चों की संख्या निर्धारित किया जाकर उक्त संख्या में ही बच्चों का परिवहन।

(iv) स्कूली वाहनों द्वारा बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर छोड़े जाने संबंधी व्यवस्था।

(v) बसों में सीट बेल्ट लगाये जाने तथा अन्य समस्त आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तथा बच्चों व पालकों को इस संबंध में जागरूक करना।

4/ उपर्युक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन चालकों के लिये ड्राइविंग टेस्ट व विशेष प्रशिक्षण आयोजित कराये जाने के संबंध में परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर एक अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये।

5/ स्कूल प्रबंधन द्वारा समय–समय पर संस्था के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहनों का निरीक्षण किया जाये तथा यह परीक्षण किया जावे कि वाहन संचालन संबंधी निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वाहनों का संचालन हो रहा है।

6/ स्कूल प्रबंधन द्वारा संस्था के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐसे समस्त वाहनों की संधारित जानकारी को स्थानीय परिवहन विभाग, पुलिस विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साझा कि जाए ताकि उक्त विभागों के स्तर से भी समय–समय पर उक्त वाहनों का निरीक्षण किया जा सके।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथा कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

31.03.18

(के.के. द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.कमांक एफ 37–2/2018/20–3 **भोपाल, दिनांक 31/03/2018**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग/गृह विभाग/परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्यसचिव, गृह विभाग/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल। कृपया इस संबंध में विभाग स्तर से भी आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
4. आयुक्त, राजस्व समस्त संभाग, म.प्र.।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, समस्त संभाग, म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. उक्त निर्देश समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को तामील कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, म.प्र.।

31.3.18
उप सचिव